श्रेणी
SERIES : II

Daman 9th October, 2015 17 Asvina 1937 (Saka) सं. No. : 40

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE

सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 4.4-GP-RR (Vol.4)/2015-16/601
Administration of Daman & Diu (U.T.)
O/o the Director of Education
Secretariat, Fort Area,
Moti-Daman – 396 220.

Dated : 07/10/2015

NOTIFICATION

The notification F. No. 52-1/1995-TS-II dated 19th June, 2015 regarding amendment of Recruitment Rules for the post of Head of Department and Lecturers in Government Polytechnic, Daman in the Union Territory Administration of Daman & Diu has been notified by the Ministry of Human Resource Development, (Department of Higher Education), New Delhi and published in the Gazette of India, Extraordinary : PART II – Section 3-Sub-Section (i) on 25th June, 2015. The said notification is hereby republished in the Official Gazette of this Union Territory Administration of Daman & Diu for general information.

Sd/-
(Lekhraj)
Director of Education
Daman & Diu

* * *

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2015

सा.का.नि.510(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय पॉलिटेकनिक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमण और दीव, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष (सिविल/यांत्रिकी/रसायनिक/सूचना प्रौद्योगिकी) और प्राध्यापक (समूह-क) पद भर्ती नियम, 2013 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'राजकीय पॉलिटेकनिक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमण और दीव, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष (सिविल/यांत्रिकी/रसायनिक/सूचना प्रौद्योगिकी) और प्राध्यापक (समूह-क) भर्ती नियम 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राजकीय पॉलिटेकनिक संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमण और दीव, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष (सिविल/यांत्रिकी/रसायनिक/सूचना प्रौद्योगिकी) और प्राध्यापक (समूह-क) पद भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची में, विभागाध्यक्ष और प्राध्यापक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के क्रम संख्यांकों (2) और (3) के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित क्रम संख्यांकों और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
2. विभागाध्यक्ष (1) सिविल इंजीनियरी-01 (2) यांत्रिकी इंजीनियरी -01 (3) रासायनिक इंजीनियरी -01 (4) सूचना प्रौद्योगिकी-01 (5) कम्प्यूटर इंजीनियरी -01 (6) विद्युत इंजीनियरी -01	6* *(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	37400-67000 रु. (वेतन बैंड-4) + शैक्षणिक ग्रेड वेतन 9,000 रु.	चयन	40 वर्ष से अनधिक। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की समुचित विद्याशाखा में बैचलर और मास्टर डिग्री जो बैचलर या मास्टर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ हो। (ii) शिक्षण या अनुसंधान या उद्योग में न्यूनतम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव। या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की समुचित विद्याशाखा में बैचलर और मास्टर डिग्री जो बैचलर या मास्टर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य और इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की समुचित विद्याशाखा में पीएच.डी या समतुल्य (ii) सुसंगत विषय में शिक्षण या अनुसंधान या उद्योग में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण—1. पीएच.डी की समतुल्यता अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पांच पेपरों के प्रकाशन की होगी, जहां प्रत्येक जर्नल 2.0 से अन्यून संचयी समाघात का घातांक रखता हो तथा पदधारी मुख्य लेखक हो और सभी पांच प्रकाशन उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से हों। टिप्पण—2. पीएच.डी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए।

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

						टिप्पण—3. अनुसंधान, अनुभव, अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड, पुस्तकों/अनुसंधान पेपरों प्रकाशन या आई.पी.आर या पेटेंट के रिकॉर्ड का चयन समिति के विषेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझे गए रूप में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। यदि औद्योगिक अनुभव पर विचार किया जा रहा है तो वह डिजाइन बनाने, योजना बनाने, निष्पादन, विंश्लेषण करने, गुणता नियंत्रण, नव परिवर्तन करने, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों या अनुसंधान पेपर प्रकाशन या आईपीआर या पेटेंट, आदि का चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा उपयुक्त समझे गए रूप में होना आवश्यक है। प्राचार्य पद के लिए, प्रबंध और नेतृत्व की जन्मजात प्रवृत्ति का चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों या उपयुक्त समझे गए रूप में होना आवश्यक है। टिप्पण—4. यदि वर्ग या श्रेणी नहीं प्रदान किया गया है, तो न्यूनतम 60 प्रतिशत का योग प्रथम वर्ग या श्रेणी के समतुल्य हैं। यदि ग्रेड अंक प्रणाली को स्वीकार किया गया है तो संचित औसत ग्रेड अंक को निम्न समतुल्य रूप में संपरिवर्तित किया जाएगा:- ग्रेड अंक औसत प्रतिशत 6.25 55 प्रतिशत 6.75 60 प्रतिशत 7.25 65 प्रतिशत 7.75 70 प्रतिशत 8.25 75 प्रतिशत टिप्पण-5. प्रत्येक भर्ती के समय विषय या विद्याशाखा की वास्तविक आवश्यकता को उपदर्शित किया जाएगा।

8	9	10
आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हां	एक वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
प्रोन्नति: ऐसे प्राध्यापक (प्रवक्ता) जिनकी वेतनमान 15600-39100 रु. + शैक्षिक ग्रेड वेतन 5400 के इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की समुचित विद्याशाखा श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा है। टिप्पण- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त,दमण और दीव -सदस्य 3. कलक्टर, दमण -सदस्य 4. कलक्टर, दीव -सदस्य	पदों की सीधी भर्ती करने या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग के वेतन बैंड-3 के वेतनमान; 15600-39100 रु. + शैक्षिक ग्रेड वेतन 5400 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा है; और (ख) स्तंभ—7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनप्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में	5. प्रबंध निदेशक, ओमनिबस औद्योगिक विकास निगम, दमण -सदस्य 6. उप वन संरक्षक, दमण -सदस्य 7. लेखा निदेशक, दमण -सदस्य समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): 1. विकास आयुक्त, दमण और दीव -सदस्य 2. कलक्टर, दमण -सदस्य 3. कलक्टर, दीव -सदस्य 4. प्रबंध निदेशक, ओमनिबस औद्योगिक विकास निगम, दमण -सदस्य 5. उप वन संरक्षक, दमण -सदस्य 6. लेखा निदेशक, दमण -सदस्य	

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

1	2	3	4	5	6	7
3. प्राध्यापक (1) सिविल इंजीनियरी- 07 (2) यांत्रिकी इंजीनियरी- 06 (3) अनुप्रयुक्त यांत्रिकी -01 (4) रासायनिक इंजीनियरी –07 (5) सूचना प्रौद्योगिकी -06 (6) रसायन-01 (7) भौतिकी-01 (8) गणित-01 (9) कम्प्यूटर इंजीनियरी -06 (10) विद्युत इंजीनियरी -07 (11) इलेक्ट्रोनिकस और संचार इंजीनियरी-01 (12) अंग्रेजी - 01	45* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनतुसचिवीय	15600-39100 रु. (वेतन बैंड-3) + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) (टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के लिए: आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की समुचित विद्याशाखा प्रथम श्रेणी के साथ बैचलर डिग्री या समतुल्य। यदि अभ्यर्थी इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री रखता है तो बैचलर या मास्टर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य आवश्यक है। (ii) मानविकी और विज्ञान में प्राध्यापक के लिए: आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समुचित विषय में प्रथम श्रेणी से मास्टर डिग्री या बैचलर या मास्टर स्तर पर प्रथम श्रेणी या समतुल्य हो। टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाये संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण—1. यदि वर्ग या श्रेणी नहीं प्रदान किया गया है, तो न्यूनतम 60 प्रतिशत का योग प्रथम वर्ग या श्रेणी के समतुल्य है। यदि ग्रेड अंक प्रणाली को स्वीकार किया गया है तो संचित औसत ग्रेड अंक को निम्न समतुल्य रूप में संपरिवर्तित किया जाएगा:- ग्रेड अंक औसत प्रतिशत 6.25 55 प्रतिशत 6.75 60 प्रतिशत 7.25 65 प्रतिशत 7.75 70 प्रतिशत 8.25 75 प्रतिशत टिप्पण-2 प्रत्येक भर्ती के समय विषय या विद्याशाखा की वास्तविक आवश्यकता को उपदर्शित किया जाएगा।

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

8	9	10
लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

11	12	13
लागू नहीं होता	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) 1. विकास आयुक्त दमण और दीव -अध्यक्ष 2. कलक्टर, दमण -सदस्य 3. कलक्टर, दीव -सदस्य 4. प्रबंध निदेशक, ओमनिबस औद्योगिक विकास निगम, दमण -सदस्य 5. उप वन संरक्षक, दमण -सदस्य 6. लेखा निदेशक, दमण -सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

टिप्पण:—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3 के उपखंड (i) में 2 मार्च, 2013 में सांख्यांक सा.का.नि. 156 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2013 द्वारा प्रमाणित किया गया था।

[फा. सं. 52-1/1995-टीएस. II]

प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2015

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to amend the Government Polytechnic in the Union Territory Administration of Daman and Diu, Principal, Head of the Department (Civil/Mechanical/Chemical/Information Technology) and Lecturers (Group-A), Recruitment Rules 2013, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Government Polytechnic in the Union Territory Administration of Daman and Diu, Principal, Head of the Department (Civil/Mechanical/Chemical/ Information Technology) and Lecturer (Group-A) Recruitment (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Government Polytechnic in the Union Territory Administration of Daman and Diu, Principal, Head of the Department (Civil/Mechanical/Chemical/Information Technology) and Lecturers (Group-A) Recruitment Rules, 2013, for serial numbers (2) & (3) relating to the posts of Head of Department and Lecturers and the entities relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

SERIES II No. : 40
DATED : 9TH OCTOBER, 2015.

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	7
(2) Head of Department (1) Civil Engineering---01 (2) Mechanical Engineering----01 (3) Chemical Engineering-----01 (4) Information Technology----01 (5) Computer Engineering -01 (6) Electrical Engineering - 01	6* *(2015) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Group "A" Gazetted Non - Ministerial	Rs. 37400-67000 (Pay Band-4) with Academic Grade Pay Rs. 9,000/-	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).	**Essential:** (i) Bachelor's and Master's degree in appropriate branch of Engineering or Technology with first class either in Bachelor's or Master's level from a recognised university. (ii) Minimum of ten years relevant experience in Teaching or Research or Industry. OR (I) Bachelor's and Master's Degree in appropriate Branch of Engineering or Technology with first class or equivalent either in Bachelor's or Master's level and Ph. D or equivalent in appropriate discipline in Engineering or Technology from a recognised university. (II) Minimum five years experience in relevant subject in Teaching or Research or Industry. **Note I:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note II:** The qualification (s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Note-1.** Equivalence for Ph. D is based on publication of five International Journal Papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all five publications being in the Author's area of specialisation. **Note-2.** Ph. D shall be from a recognised university. **Note-3.** In case of Research Experience, good academic record and books or research paper publications or IPR or Patents record shall be required as deemed fit by the Expert Members of the Selection Committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at Managerial level equivalent to Head of the Department with active participation record in Designing, Planning, Executing, Analysing, Quality Control, Innovating, Training, Technical Books or Research Paper Publications or IPR or Patents. etc.. as deemed fit by the Expert Members of the Selection Committee.

						For the post of Head of Department, flair for management and leadership is essential as deemed fit by the Expert Members of the Selection Committee. **Note-4.** If a Class or Division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade Point System is adopted the Cumulative Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below:- **Grade Point** — **Equivalent Percentage** 6.25 — 55% 6.75 — 60% 7.25 — 65% 7.75 — 70% 8.25 — 75% Note-5. The exact requirement of the subject or discipline will be indicated at the time of each recruitment.

8	9	10
Age: No Educational Qualifications : Yes	1 year	75% By promotion failing which by deputation, 25% by Direct Recruitment.

11	12	13
Promotion:- Lecturer in the scale of Pay of Rs. 15600-39100 with Academic Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 with ten years service in the appropriate branch of Engineering or Technology in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation** Officers under the Central or State Government/Union Territory Administration:- (A) (I) Holding analogous posts in the parent cadre or department on regular basis; or (II) With ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 15600-39100 with Academic Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 or equivalent in the parent cadre or department; And (B) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column 7.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission-Chairman. 2. Development Commissioner, Daman and Diu-Member. 3. Collector, Daman-Member. 4. Collector, Diu-Member. 5. Managing Director, Omnibus Industrial Development Corporation, Daman-Member 6. Deputy Conservator of Forest, Daman-Member 7. Director of Accounts, Daman-Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Development Commissioner, Daman and Diu-Chairman. 2. Collector, Daman-Member. 3. Collector, Diu-Member. 4. Managing Director, Omnibus Industrial Development Corporation, Daman-Member 5. Deputy Conservator of Forest, Daman-Member 6. Director of Accounts, Daman-Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and filling the post by deputation.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an Officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

1	2	3	4	5	6	7
(3) Lecturer 1. Civil Engineering -07 2. Mechanical Engineering -06 3. Applied Mechanics – 01 4. Chemical Engineering – 07 5. Information Technology – 06 6. Chemistry – 01 7. Physics – 01 8. Mathematics – 01. 9. Computer Engineering – 06 10. Electrical Engineering – 07 11. Electronics and Communication Engineering - 01 12. English - 01	45* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 15600-39100 (Pay Band-3) with Academic Grade Pay Rs. 5400/-	Not applicable.	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). (Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep)	I) For Lecturer in Engineering and Technology **Essential:** Bachelor's degree in Engineering or Technology in the relevant branch with first class or equivalent from a recognised university. If the candidate has a master's Degree in Engineering or Technology first class or equivalent is required at Bachelor's or Master's level. II) For Lecturer in Humanities and Science **Essential:** First class Master's Degree in appropriate subject with first class or equivalent at Bachelor's or Master's Level from a recognised university. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission., for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note I : If a Class or Division is not awarded, minimum of 60% marks in

						aggregate shall be considered equivalent to first class or division. If a Grade Point System is adopted the Cumulative Grade Point Average will be converted into equivalent marks as below:- Grade Point Equivalent — Percentage 6.25 — 55% 6.75 — 60% 7.25 — 65% 7.75 — 70% 8.25 — 75% Note-2. The exact requirement of the subject or discipline will be indicated at the time of each recruitment.

8	9	10
Not applicable	1 year	By Direct Recruitment.

11	12	13
Not applicable	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation): 1. Development Commissioner, Daman and DIU – Chairman. 2. Collector, Daman – Member. 3. Collector,Diu-Member. 4. Managing Director, Omnibus Industrial Development Corporation, Daman-Member 5. Deputy Conservator of Forest, Daman-Member. 6. Director of Accounts, Daman-Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

Note: The Principal notification was published vide number G.S.R. 156(E) dated 28th February,2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i), dated 2nd March, 2013

[F. No. 52-1/1995-TS.II]

PRAVEEN KUMAR, Jt. Secy. (Admin.)